विषयः– अपीलीय

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 162/2014 (अपील)

GCMS No. 2014/00026

बद्रीलाल आत्मज स्व0 रामसुखजी जाति माली निवासी अस्पताल के पास कस्बा चेचट, नायब तहसील चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 24.11.2014 मि0नं0 812/2014 नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री रविन्द्र कुमार नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–02.03.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट जिला कोटा ने ग्राम चेचट की भूमि खसरा नम्बर 347 की .24 हे0 एवं ख0नं0 39 की 0.40 हे0 किस्म बेहड़ में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 812/2014 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 150/– रूपये का शास्ति व एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 24.11.2014 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 26.12.2014 को पेश की गई है कि अपीलांट ने कभी भी ख.नं. 347 वख.नं. 39 की भूमि वाके ग्राम चेचट पर अतिक्रमण नहीं किया है , बल्कि अपीलांट अपने खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि 5 बीघा पर ही काश्त कर रहा है और विवादित भूमि ख.नं. 347 व अन्य अपीलांट के खाते की भूमि के उत्तरी ओर स्थित है । किन्तु संबंधित हल्का पटवारी द्वारा भूमि की बिना पैमाईश किये अपीलांट के विरूद्ध

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

अतिक्रमण की रिपोर्ट निराधार तरीके से पेश की थी, इस रिपोर्ट को साबित करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय ने न तो हल्का पटवारी के बयान लेखबद्व किये न ही अपीलांट को जवाब व जिरहा का मौका दिया है । जबकि कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित करने के लिए गांव के स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान लेखबद्व करने चाहिये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होते हुए भी अपने मनमाने तरीके से आदेश जैर अपील पारित किया है जो गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी प्रकिया व कानूनी प्रावधानों एवं नेचुरल जस्टिस के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट दिनांक 24.11.2014 निरस्त किये जाने का आदेश न्यायहित में फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने कभी भी ख.नं. 347 वख.नं. 39 की भूमि वाके ग्राम चेचट पर अतिक्रमण नहीं किया है , बल्कि अपीलांट अपने खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि 5 बीघा पर ही काश्त कर रहा है और विवादित भूमि ख.नं. 347 व अन्य अपीलांट के खाते की भूमि के उत्तरी ओर स्थित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी प्रकिया व कानूनी प्रावधानों एवं नेचुरल जस्टिस के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के समय पटवारी रिपोर्ट में व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील में कहीं भी अंकित नहीं है कि अपीलांट द्वारा उक्त ख.नं. की भूमि संवत 2070 में कौन सी फसल की थी और संवत 2071 में कौर सी फसल स्थित है । इस प्रकार आदेश अपीलांट न्यायालय नॉन स्पीकींग होने से खारिज किये जाने योग्य है । वर्तमान में भी अपीलांट का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है । इसकी पुष्टि माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट से मंगवाई गई रिपोर्ट क्रमांक/355 दिनांक 4.7.2019 मय पटवारी रिपोर्ट से होती है, उक्त रिपोर्ट में ग्राम चेचट के खसरा नं0 347 रकबा 0.24 हे0 एवं खसरा नं0 39 रकबा 0.40 हे0 पर बद्रीलाल माली निवासी चेचट का कब्जा नहीं होना बताया है, ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट दिनांक 24.11.2014 निरस्त किये जाने का आदेश न्यायहित में फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

2

Scanned by CamScanner

विषयः– अपीलीय

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.11.2014 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 26.12 2014 को पेश की गई जो अन्दर मियाद है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि बद्रीलाल आत्मज स्व0 रामसुखजी जाति माली निवासी अस्पताल के पास कस्बा चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने चेचट की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 347 की रकबा 0.24 हैक्टेयर एवं ख0नं0 39 रकबा 0.40 हे0 में अनाधिकृत कब्जा कर फसल सोया एवं उड़द काश्त किया है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत पश्चातवर्ती का नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 150/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

8. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है । शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/3/21

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner